न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।

राज्य प्रति गोमिन्द सिंह आदि।

परिवाद सं0–1338 / 2014

धारा–323,504,506 भा0दं0सं0

थाना–भगतपुर

21.01.2020

अभियुक्तगण महेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह, भारत सिंह, गोमन्द सिंह, सुरज सिंह व राजवीर सिंह अपराध संख्या–1338 / 14 अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 थाना–भगतपुर के मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उन्हें मिथ्या फंसाया गया है वह निर्दोष हैं। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण स्वेच्छया से आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला परिवाद पर आधारित है। अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण महेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह, भारत सिंह, गोमन्द सिंह, सुरज सिंह व राजवीर सिंह द्वारा तीस–तीस हजार रूपये के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किये जाए।

सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा।